>

Title: Need to provide voting rights to primary school teachers in election of members of Legislative Councils in the States.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): भारतीय संविधान की धारा-171 के अधीन विधान परिषद के गठन में कुल सदस्यों के 12वें हिस्सा के सदस्यों के चुनाव में महाविद्यालयों और उच्च विद्यालयों के पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही मतदान का अधिकार है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मतदान का अधिकार नहीं है, यह उचित नहीं है । बिहार में भी विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में प्राथमिक शिक्षकों को मतदान का अधिकार नहीं है जिससे वे सभी निराश हैं । उनके प्राथमिक शिक्षक महासंघ ने मांग की है कि संविधान संशोधन कर प्राथमिक शिक्षकों को भी उन राज्यों में मतदान का अधिकार दिया जाये जिन राज्यों में विधान परिषद है । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि संविधान संशोधन कर विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में प्राथमिक शिक्षकों को भी मतदान का अधिकार मिले ।